



140646 - क्या एक इस्तिखारा की नमाज़ में कई बातों को एकत्र किया जा सकता है?

प्रश्न

क्या मेरे लिए एक इस्तिखारा की नमाज़ में कई मामलों को एकत्र करना संभव है? या क्या प्रत्येक मामले के लिए दो रकअत इस्तिखारा की ज़रूरत है? अगर यह संभव है, तो (यह) कैसे किया जाएगा? उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक कार खरीदने, एक घर खरीदने और शादी करने के बारे में इस्तिखारा करना चाहता है। क्या इन सभी चीज़ों को केवल इस्तिखारा की दो रकअतों में एकत्र किया जा सकता है? या प्रत्येक मामले के लिए दो रकअत की आवश्यकता है? इसलिए वह दो रकअत, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत की नमाज़ पढ़ेगा। और हर दो रकअत में वह एक चीज़ के लिए इस्तिखारा करेगा।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

इस्तिखारा एक दुआ है, जिसमें बंदा अपने सर्वशक्तिमान पालनहार से अपने लिए दो मामलों में से सबसे अच्छा चुनने के लिए अनुरोध करता है। इस्लामी शरीयत में दुआ का अध्याय बहुत व्यापक है, जिसमें मुसलमान के लिए जायज़ है कि वह अपनी सभी ज़रूरतों का सर्वशक्तिमान अल्लाह से सवाल करे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व्यापक दुआएँ पसंद करते थे, जो कि कम शब्दों में बहुत सारे अर्थों को समोए होती हैं।

दो रकअत नमाज़ पढ़ने के बाद उसे अपने इस्तिखारा में एक से अधिक ज़रूरतों का उल्लेख करने से रोकने का कोई कारण नज़र नहीं आता; और उसके बारे में यह कहना सच है कि उसने दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर उनके बाद उसने अपनी ज़रूरत के लिए दुआ की। हालाँकि, हर ज़रूरत के लिए एक अलग-अलग दो रकअत नमाज़ पढ़ना और दुआ करना बेहतर है।

शैख अब्दुल्लाह बिन जिबरीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया :

क्या एक नमाज़ में एक से अधिक मामलों के लिए इस्तिखारा किया जा सकता है?

तो उन्होंने जवाब दिया :

यह जायज़ है, और आप नमाज़ को उसके बाद दुआ करने का एक वसीला (ज़रीया) बना सकते हैं। अतः [दो रकअत] नमाज़ पढ़ने के बाद दो या दो से अधिक ज़रूरतों के लिए इस्तिखारा करने में कोई आपत्ति नहीं है। चुनाँचे वह प्राक्कथन के बाद



दुआ में कह सकता है : “ऐ अल्लाह! अगर यह मामला और यह मामला मेरे लिए अच्छा है... तो उन्हें मेरे लिए आसान बना दे...”

“फ़तावा फी सलातिल-इस्तिखारह” (प्रश्न संख्या : 12).

हमने यह प्रश्न अपने शैख अब्दुर-रहमान अल-बराक हफ़िज़हुल्लाह से पूछा, तो उन्होंने कहा : “वह एक ही (इस्तिखारा की) नमाज़ में कई मामलों को एकत्र कर सकता है, और वह कह सकता है : ऐ अल्लाह! यदि तू जानता है कि यह मामला, यह मामला और यह मामला मेरे लिए अच्छा है ...”

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।